महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सत्यमेव जयते

P19/II/DRSSA-84/UK/2018-19 25/09/2018

To

All District / Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Payment of pay/allowances and arrear amount of pay/allowance due from 01/01/2016 to 31/12/2016 to state employees of Uttarakhannd Govt. in two stages (Financial year 2017-18 & 2018-19), consequent on implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission and grant of Dearness allowance @5% w.e.f. 01/07/2017 and @7% w.e.f. 01/01/2018 to the pensioners receiving Revised pension w.e.f. 01/01/2016.

Ref: 1.SSA No. P.A./Pension/2018-19/1004 dated. 03/07/2018 of the Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun.
2.Leter No.202/XXVII(7)30(7)/2016 dated.17/10/2017 of the Secretary , Finance Section , Government of Uttarakhand.
3.OM No.XXVII(7)30(7)/2016 dated.13/11/2017 of the Secretary , Finance Section, Government of Uttarakhand.
4.OM No.XXVII(7)02/2016 dated.06/10/2017. of the Secretary , Finance Section, Government of Uttarakhand.
5.OM No.147/XXVII(7)02/2016 dated. 09/05/2018 of the Secretary,Finance Section, Government of Uttarakhand.

I am to enclose herewith copy of SSA received from the Office of Accountant General (A&E), Uttarakhand which encloses above referred office memorandums from the Secretary, Finance Section, Government of Uttarakhand, regarding the payment of pay/allowance and arrear amount of pay/allowances due from 01/01/2016 to 31/12/2016 to state employees of Uttarakhand in two stages(Financial year 2017-18 & 2018-19), consequent on implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission and grant of Dearness allowance @5% w.e.f. 01/07/2017 and @7% w.e.f. 01/01/2018 to the pensioners receiving revised pension w.e.f.01/01/2016. The same is being placed in the official website of this office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link"***Treasury endorsement of orders for other state pensioners".*** A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

25/9/18

Accounts Officer

Copy to:-

1.The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

2.Accounts Officer/Pension
Accountant General (A&E)
Uttarakhand

Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

Pa/Ty/DA5572/84
30/7/18

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

P-19
167645
20/07/18

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1004

दिनांक- 03.07.2018

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलौंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19/ दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार(लेखा एवं हक़)

विषय- सातवें वेतन आयोग कि संस्तुतिया लागु होने पर राज्य कर्मचारियों को दिनांक:01/01/2016 से 31/12/2016 तक देय वेतन/भत्तों कि अवशेष एरियर राशि के भुगतान तथा देय वेतन भत्तों का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 01/01/2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त पेंशनरो को दिनांक:01/07/2017 से महंगाई राहत 5 प्रतिशत तथा 01/01/2018 से महंगाई राहत 7 प्रतिशत की स्वीकृति।

संदर्भ-1.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-202/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:17/10/2017

2.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:13/11/2017

3.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)02/2016 दिनांक:06 /10 /2017

4.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-147/XXVII(7)02/2016दिनांक:09/05/2018

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है की उक्त आदेश अपने छेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारीयों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संग्लग्न-यथोपरि

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय: राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कार्मियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय वेतन/भत्तों की बकाया राशि का भुगतान निम्न प्रक्रिया के तहत भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तथा 01 जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए संबंधित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। उक्त जमा राशि केवल ऐसे मामलों में जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।
3. ऐसे कार्मिक, जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
4. नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि संबंधित कार्मिकों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नकद भुगतान की जायेगी।
5. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए है, को उक्त अवधि के एरियर का भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त नकद रूप में किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः........2

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग– 7

संख्याः – /XXVII(7)30(7)/2016

देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय वेतन–भत्तों की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें निम्न प्रकियाओं का समावेश किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. प्रथमतः समस्त आहरण–वितरण अधिकारी अपने अधिष्ठानान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे व सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करेंगे। यदि कहीं नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण किया गया हो तो नियमानुसार उसकी शुद्धी सुनिश्चित करेंगे।
2. बिन्दु संख्या 1 में अंकित निर्देशानुरूप कार्यवाही कर लिए जाने के उपरांत आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिकों का एरियर बिल तैयार किया जाएगा और अनिवार्यतः यह प्रमाण पत्र बिल के साथ सलग्न किया जाएगा कि "संबंधित कार्मिक के छठे/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है और वह सभी सही हैं।"
3. यदि किसी प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी को छठे/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण में त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो नियमानुसार सही वेतन निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यदि किसी प्रकरण में वसूली की धनराशि आगणित एरियर से अधिक हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 81 (3) अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
5. इस अवधि में विभागीय वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/जिन अन्य पदनामों से संबंधित विभाग में वित्त सेवा के अधिकारी तैनात हों, वे सभी अपने–अपने विभाग में वेतन निर्धारण सम्बन्धी टैस्ट चैकिंग सुनिश्चित करेंगे।
6. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं अथवा होंगे, को अवशेष वेतन/भत्तों का सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जायेगा।
7. पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त हुए कार्मिकों के प्रकरण में आयकर कटौती करते हुए सम्पूर्ण भुगतान नकद रूप में किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में चूंकि संबंधित पुनर्योजित कार्मिक का वेतन एवं पेंशन दोनों ही पुनरीक्षित हुयी होंगी, अतः आगणित वेतन एरियर में पुनरीक्षित पेंशन/पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई रिकवरी की स्थिति बनती है तो वह नियमानुसार कर ली जाय।

2– उक्त वर्णित शासनादेश संख्या– 202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

DR-43
DR-24.06.18

क्रमशः.........2

(35)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा०नि०–[illegible]ा–7
संख्या– / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/9/2017–ई.II(बी), दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के कम में 04 प्रतिशत के स्थान पर पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 05 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated: 06 October, 2017

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for Civil/Family pensioners w.e.f. 01-07-2017 @ 5% instead of 4% according with the Office Memorandum No. 1/9/2017-E.II(B) Dated 20 September, 2017 of Ministry of finance, Government of India.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Principal Secretary.

DR-44
dt-26.06.18

Contd.....2

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7
संख्या-147/XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 09 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-189/XXVII(7)02/2010 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 05 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 147/XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 09 May, 2018

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2018 @ 05% instead 07% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 189/XXVII(7)02/2010 Dated 06 October, 2017 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

By Order,
(Amit Singh Negi)
Secretary

DR-45
Dt-26.06.18

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND.
(MAHALEKHAKAR BHAWAN, KOULAGARH, DEHRADUN-248195)
PH No 0135-2643684,Fax No: 0135-2643683

"SPECIAL SEAL AUTHORITY"

Letter No.P.A./Pension/2018-19/ Dated:

To

All Principal/Accountants General (A&E)

Sub : Payment of pay/allowances and arrear amount of pay/allowance due from 01/01/2016 to 31/12/2016 to state employees in two stages (Financial year 2017-18 & 2018-19), consequent to implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission and grant of Dearness allowance @ 5% w.e.f. 01/07/2017 and @ 7% w.e.f. 01/01/2018 to the pensioners receiving revised pension w.e.f. 01.01.2016.

Ref :
1. Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section, Government Order No. 202/XXVII(7)30(7)/2016 dated 17/10/2017
2. Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section, Government Order No. XXVII(7)30(7)/2016 dated 13/11/2017
3. Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section, Government Order No. XXVII(7)02/2016 dated 06/10/2017
4. Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section, Government Order No. 147/XXVII(7)02/2016 dated 09/05/2018

Sir,

Copies of the above orders issued by the Finance Department of Government of Uttarakhand are being sent enclosed herewith. Hence you are requested that the above orders may please be circulated to all Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and they may be directed to take action as per rules and a copy of the action taken in this regard may please be sent to this office also.

Encl : As above

Yours faithfully
Sd/-
Sr Accounts Officer/Pension

No.202/XXVII(7)30(7)/2016

From

Radha Ratudi
Principal Secretary
Government of Uttarakhand

To

All Addl Chief Secretary/Prl Secretary/Secretary/Secretary In-charge
Government of Uttarakhand

Finance (P.C.-G.R.) Section-7 Dehradun : Dated 17th October, 2017

Sub : Payment of arrear amount of pay/allowances due from 01st January 2016 to 31st December 2016 to state employees consequent to implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission in the state.

Sir,

On the above mentioned subject, I am directed to say that the Honourable Governor is pleased to accord sanction for the payment of arrear amount of pay/allowances due for the period of 01st January 2016 to 31st December 2016 to state employees, consequent to implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission in the state, as per the procedure mentioned below:

1. Payment of arrear of pay/allowances for the period of 01st January 2016 to 30th June 2016 shall be made in the current financial year 2017-18 and payment for the period of 01st July 2016 to December 2016 shall be made in the financial year 2018-19.
2. The arrear amount payable as above in the financial years 2017-18 & 2018-19 shall be credited in the Provident Fund of the concerned employee after deduction of Income Tax. The amount credited as above cannot be withdrawn before one year in any case except for those in which final withdrawal is due under the Provident Fund Rules.
3. Payment of arrear amount shall be made in cash to those employees whose Provident Fund account has not been opened.
4. To all the employees covered under the New Pension Scheme, an amount equivalent to 10% of the arrear amount payable accordingly shall be credited in Tier-1 pension account of the concerned employees and equivalent contribution by the state Government/Employer shall be deposited in Tier-1 pension account. The remaining amount of arrear shall be paid in cash to the concerned employees.
5. Payment of arrear for the above period to such employees retired/deceased or relieved from service due to other reasons between 01.01.2016 to 31.12.2016, shall be made in cash after deducting income tax.

Yours faithfully
Sd/-
Radha Ratudi
Principal Secretary

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
FINANCE (P.C.-G.R.) SECTION-7
No. / XXVII (7)30(7) /2016
Dehradun, Dated 13th November, 2017

OFFICE MEMORANDUM

The Honourable Governor is pleased to accord sanction for partial revision and inclusion of the following procedures in the Government Order No. 202/XXVII(7)30(7)/2016 dated 17th October, 2017 regarding payment of arrear amount of pay/allowances due from 01st January, 2016 to 31st December, 2016 in two stages (financial year 2017-18 & 2018-19) to state employees consequent to implementation of the recommendations of Seventh Pay Commission in the state :-

1. Firstly, all Drawing and Disbursing Officers shall carefully verify the fixations of pay of the employees working in their organisations, done under the Sixth & Seventh Pay Commissions. If any pay fixation has been done against the rules, its recovery may be ensured as per rules.
2. After taking action as per the directions given in point 1, the Drawing and Disbursing Officers shall prepare the arrear bill of the employees and a certificate shall invariably be attached with the bill that "all the documents of pay fixation done under the Sixth & Seventh Pay Commissions have been verified and are found correct".
3. If in any case, an error is noticed by the Drawing and Disbursing Officer in the pay fixation done under the recommendations of Sixth & Seventh Pay Commissions, after doing correct pay fixation as per rules, adjustment bill shall be submitted by recovering the amount of excess payment from the arrear payable.
4. If in any case the amount of recovery is more than the amount of arrear calculated, action may be taken as per para 81(3) of Finance Handbook Vol.6 Part 1.
5. All Departmental Finance Controllers/Senior Finance Officers/by any other designations, appointed as the Finance Services Officers in the concerned departments during this period shall ensure test checking in respect of pay fixation in their respective departments.
6. Full payment of arrear of pay/allowances to such employees retired/ deceased and such employees who are/will be relieved from service due to other reasons between 01st January 2016 and 31st March 2018, shall be made lump sum in cash in the current financial year itself after deducting income tax.
7. In case of re-employed/re-appointed employees, the whole payment will be made in cash after deducting income tax, but in such cases as both pay and pension of the concerned re-employed official would have been revised, the revised pension/pension arrear shall also be taken into account in the arrear of pay calculated and if any position of recovery arises it shall be made as per rules applicable.

2- The above mentioned OM No. 202/XXVII(7)30(7)/2016 dated 17th October, 2017 shall be treated as revised to this extent. The remaining conditions shall be the same as before.

Sd/-
(Radha Ratudi)
Principal Secretary